न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 66 / 2019 GCMS No.—2020/00185

1. सत्यनारायण
2. रामावतार
3. कृष्णावतार

पुत्रान स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. राजेन्द्र
2. रामबाबू पुत्रान स्व0 हरिनारायण
3. उमाशंकर
4. विजयशंकर पुत्रान स्व0 भंवरलाल

   जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0
5. मोहिनी देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आलियावास, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0
6. अंजू देवी पत्नि कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कादेडा तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील सांगानेर, जयपुर।
8. उपपंजीयक द्वितीय सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व आज्ञा दिनांक 04.11.2019 नामान्तकरण संख्या 738 द्वारा तहसीलदार सांगानेर ।

उपस्थितः–
1. श्री आर.पी.शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री विशाल दिनंकर अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट 1 लगायत 4 व 6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 03.03.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 04.11.2019 जिससे नामान्तरकरण संख्या 738 वाके ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट्स के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.11.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल दिनकर उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 5 की ओर कोई उपस्थित नहीं आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

दिनांक 04.11.2019 से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 738 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम बिलवा तहसील सांगानेर स्थिति आराजी खसरा नंबर 1265, 1266, 1267/2106, 1343, 1345, 1346/2109, 1347/2107, 1348, 1349, 1350, 1351/2103 कुल किता 11 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 के प्रत्यर्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी का विभाजन 13.08.1989 को अपीलांट व रेस्पा0 के पिता हरिनारायण ने अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमति से कर लिया था इसके बाद स्व0 हरिनारायण के मन में बदनीयति पैदा हो गई जिसके चलते हरिनारायण ने ए.एस.ओ. से सांठ–गांठ कर अपील में दर्ज वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 1265,1266, 1267/2106, 1346/2109, 1347/2107, 1351/2103 जिस पर अपीलांट के मकानात मुद्दक कदीम से बने हुए थे अपने नाम गलत तरीके से लगवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं रही इसी दौरान रेस्पा0 के पिता ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय एस.ई.एम. द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका न्यायालय ने विवादित नम्बरो के बाबत बिना कोई कब्जे की फाईडिंग दिये आंशिक रूप से डिक्री कर दिया। जिसकी अपील अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की लेकिन दौराने अपील स्व. हरिनारायण की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी सूचना समय पर नही दिये जाने के कारण बिना किसी कानूनी आधार पर पक्षकारान का हक हकूको का गुणावगुण पर निस्तारण किये बिना तकनीकी आधार पर अपील अबेट मानकर निरस्त कर दी गयी जिसकी रिविजन माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में पेश की गयी जिसे रेवेन्यू बोर्ड ने खारिज कर दी। जिसके विरूद्व अपीलांट ने सिविल मिसनिलयस रिट पिटीशन संख्या 2775/2020 माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमें पक्षकारान के हक हकुको का न्याय निर्णयन होना शेष है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.08.2019 प्रभावी रहने के दौरान तहसीलदार सांगानेर ने स्थगन आदेश की जानकारी बखुबी होने के उपरान्त भी दिनांक 04.11.2019 को बिना किसी कानूनी अधिकार के रेस्पाडेन्ट द्वारा आवेदित नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। रेस्पा0 का कथन अनुचित है कि 1352/1, 1352/3 के संबंध में कोई वाद कार्यवाही लम्बित नहीं है इस संबंध में निवेदन है कि नामान्तकरण में वर्णित खसरा नंबर पूर्व में मूल रूप से 1352 से बने है तथा खसरा नंबर 1352 के संबंध में सक्षम न्यायालयो में वाद कार्यवाही विचाराधीन है तथा पक्षकारान के मध्य अन्य आबादी भूमि को लेकन माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम 19 के समक्ष वाद संख्या 83/19 लम्बित है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2019 के आदेश अनुसार रिकॉर्ड एंव कब्जे के संबंध में यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है। यदि किसी आराजी के संबंध में नामान्तकरण खोले जाते समय उसकी विषयवस्तु के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

दिये जाने के पश्चात लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान धारा 135(2) के प्रावधान अनुसार सुनवाई कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए। जबकि अपीलांट ने दिनांक 14.02.2020 के जरिये बतौर पक्षकार संयोजित कर अपना पक्ष रखने बाबत सूचित किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक नियमों के विरूद्व अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 738 दिनांक 04.11.2019 को निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने कथन में समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2011(2) पेज नं 1264, आर.आर.टी. 2009(2) पेज नं 1225, आर.आर.टी. 2017(2) पेज नं 745, आर.आर.टी. 2003(1) पेज नं 650 पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 738 में साबिक खसरा नंबर 931 से बने खसरा नंबर 1352 में खसरा नंबर 1352/1 एवं खसरा नंबर 1353/3 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 को प्रश्नगत किया है। प्रश्नगत भूमि से अपीलांट्स का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साबिक खसरा नंबर 931 में हिस्सा 1/2 की कृषि भूमि रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को अपीलांट के पिता स्व. लक्ष्मीनारायण से जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 08.10.1963 को कय किया गया था जिसमें दौराने सेटलमेन्ट प्रत्यर्थीगण के रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1265, 1266, 1352, 1267/2106 बनाये गये। अपीलांट्स के कुल किता 11 रकबा 1.77 है0 का पृथक से खाता बनाया गया। खसरा नंबर 1352 का पृथक से खाता बनाया गया जिसमें वर्तमान में नामान्तकरण संख्या 738 के द्वारा खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्‌वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 3 सजरा रिपोर्ट एवं विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्‌वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 738 ग्राम बीलवा कलां तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण हरिनारायण के फौत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत सजरा, फर्द मौका रिपोर्ट, प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा रेस्पाडेन्ट्स के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर पेश किया गया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 04.11.2019 को तस्दीक किया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 की भूमि पर माननीय राजस्व मण्डल में स्थगन होने के बावजूद नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स एवं रेस्पा0 के मध्य सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर द्वारा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हरिनारायण बनाम सत्यनारायण में दिनांक 02.09.2015 को निर्णय पारित किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 में अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 का उल्लेख नहीं है जिससे जाहिर है कि अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट्स द्वारा अपीलाधीन आराजी के विरूद्व सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा उनवानी हरिनारायण बनाम सत्यनारायण में पारित आदेश दिनांक 02.09.2015 के विरूद्व अपीलांट्स द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक द्वारा 05.08.2019 से खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 05.08.2019 के विरूद्व अपीलांट्स ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी पेश की जिसे माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा निर्णित दावा उनवानी हरिनारायण बनाम सत्यनारायण में अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 का उल्लेख नहीं होने एवं अपीलाधीन नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आराजी खाता संख्या 327 खसरा नंबर 1352/1, 1352/3 में किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा दिया गया स्थगन आदेश अपीलाधीन आराजी पर लागू नहीं होता है। इसलिंए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA